न्यायालय :– श्रीमती सोनल पटेल, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ. अंबेडकर नगर, जिला – इन्दौर (म.प्र.)

आपराधिक अपील प्रकरण क्र. 01/18

संस्थापन दिनांक 02/01/2018

किशोर पिता अमीचंद, आयु– 65 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत, निवासी– 9, मेन स्ट्रीट, महू, जिला इंदौर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

(विरूद्ध)

01. देवेन्द्र पिता रामचन्द्र, आयु– 41 वर्ष, व्यवसाय– व्यापार, निवासी– 20–ए, मेन स्ट्रीट, महू, जिला इंदौर (म.प्र.)

02. म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र महू, जिला– इंदौर (म.प्र.)

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी द्वारा	:–	श्री प्रताप सिंह अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण द्वारा	:–	श्री संतोष अग्रवाल अधिवक्ता।

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 06/02/2019 को पारित)

01– अपीलार्थी ने यह अपील धारा 374 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में द.प्र.सं.) के अंतर्गत न्यायालय श्री ऋषिराज त्रिवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1853/2006 में पारित निर्णय दिनांक 30/11/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 (संक्षेप में अधिनियम) के अपराध में दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक का कारावास से दण्डित कर धारा 357 (3) द.प्र.स. के अंतर्गत 25,000/– रूपये प्रतिकर और इसके

व्यतिक्रम में 1 माह के साधारण कारावास भुगताने का निर्धारण किया। आगे सुविधा के लिये अपीलार्थी को अभियुक्त व प्रत्यर्थी को परिवादी के रूप में उल्लेखित किया जायेगा।

02— विद्वान विचारण न्यायालय में परिवादी देवेन्द्र ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त किशोर के विरूद्ध परिवाद इस आधार पर प्रस्तुत किया कि अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये आरोपी ने परिवादी से 15,000/— रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) बतौर उधार नगद प्राप्त किये, जिसकी अदायगी के लिये एक चैक कैनरा बैंक महू शाखा के अपने हस्ताक्षर कर दिया था, जो परिवादी ने अपने सिडीकेंट बैंक शाखा के खाते में जमा किया, किन्तु उक्त चैक आरोपी के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया, जिसकी सूचना परिवादी को बैंक ने दिनांक 08/06/2006 को दी। तत्पश्चात प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 22/06/2006 को रजिस्टर्ड डाक का सूचना पत्र अपीलार्थी/आरोपी को रूपयों की मांग का प्रेषित किया, जो उस पर दिनांक 13/07/2006 को तामील होने के उपरांत अपीलार्थी/आरोपी द्वारा रूपयों की अदायगी नहीं की गई। इसलिये प्रत्यर्थी/परिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद प्रस्तुत किया।

03— योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी/अभियुक्त पर अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप लगाया और आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं धारा 313 दं.प्र.सं. के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होने और परिवादी से रूपये प्राप्त न करने और चैक न देने बाबद प्रकटीकरण किया है तथा प्रतिरक्षा में स्वयं आरोपी किशोर कुमार ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है।

04— विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उभयपक्ष के तर्क सुनकर यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने दायित्व के अधीन प्रश्नगत चैक प्रदान किया था, जो कि खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित हो गया और उसे अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए उल्लेखित अनुसार दण्डादेश दिया, जिससे विक्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

05— अपील में यह आधार लिये गये हैं कि आलोच्य निर्णय विधि और तथ्यों के विपरीत है। परिवादी के द्वारा अपनी स्वयं की साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया था कि परिवादी को आरोपी से चैक में उल्लेखित धनराशि की प्राप्ति प्रदर्श डी. 2 की रसीद के माध्यम से राजीनामें के प्रकाश में रूपये 70,000/— प्राप्त हो चुकी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में गंभीर साक्ष्य का अवलोकन सूक्ष्मता से नहीं किये जाने में गंभीर विधि की भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर जो प्रदर्श डी. 1 का पूर्व निराकृत प्रकरण क्रमांक 710/2006 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी प्रदर्श डी. 2 की रसीद प्रस्तुत की गई थी, जिस पर यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि तीनों प्रकरण

709/2006, 710/2006 एवं 1853/2006 में उल्लेखित समस्त चैकों की राशि के संबंध में परिवादी का आरोपी से राजीनामा हो गया है, जिसकी धनराशि परिवादी को आरोपी से रूपये 70,000/– प्रकरण चलने के दौरान प्राप्त हो चुकी है, फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में गंभीर साक्ष्य का अवलोकन सूक्ष्मता से नहीं किये जाने में गंभीर विधि की भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में साक्ष्य का विवेचन पूर्ण रूप से नहीं कर एक अक्षम आदेश पारित करने में साक्ष्य की विवेचना मनमाने ढंग से किये जाने की गंभीर विधि की भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश प्रकरण की परिस्थितियों और तथ्यों तथा विधि के मार्गदर्शक सिद्धांतों और न्यायदृष्टांतों व प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को बगैर समझे, बगैर वास्तविक विवाद को समझे पारित किया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरुद्ध अपना प्रकरण संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है, जबकि आरोपी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा/बचाव पक्ष को उचित व संपूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में एवं उपरोक्त वर्णित समस्त आधारों पर युक्तियुक्त रूप से व संदेह से परे अपने बचाव पक्ष में सिद्ध किया है। अतः आरोपी को उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध विरचित गये धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत विरचित किये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाना था, जो कि नहीं करके आलोच्य निर्णय पारित करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर विधि की भूल की है। अतः अपीलार्थी/अभियुक्त ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/11/2017 को अपास्त कर दोषमुक्त करने का निवेदन करते हुए अपील प्रस्तुत की है।

06– अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने परिवादी से कोई भी रूपये उधार प्राप्त नहीं किये हैं और न ही कोई चैक प्रदान किया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आरोपी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं की साक्ष्य प्रस्तुत की है और उक्त साक्ष्य पर ध्यान न देते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि परिवादी को चैक में उल्लेखित धनराशि प्रदर्श डी. 2 की रसीद के माध्यम से राजीनामें के प्रकाश में प्राप्त हो चुकी है और उस पर ध्यान न देते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के अधीन जारी नहीं किया गया है, इसलिये अपीलार्थी/अभियुक्त को दंडित नही किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क है कि यदि यह योग्य विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष से सहमत हो जाती है, तब अपीलार्थी/अभियुक्त को दिया गया दंडादेश के अधीन प्रतिकर की अधिरोपित राशि अत्यधिक है, जिसे कम की जाकर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे। इसके विपरीत प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि व तथ्यजनित साक्ष्य के आधार पर आधारित होने के कारण हस्तक्षेप योग्य न होना बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

07— अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न उद्भूत होते है कि :—

1. क्या प्रश्नगत चैक दायित्व के अधीन जारी किया गया था, जो कि खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित हुआ ?
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश विधि व तत्थजनित साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ?

// सकारण — निष्कर्ष //

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :—

08— उक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनके समुचित निष्कर्ष हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ निराकरण किया जा रहा है, ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

09— अधिनियम की धारा 138 के अनुसार :—

''जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक से संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किसी अन्य व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर लिये जाने के कारण बैंक द्वारा बिना भुगतान किये पुनः लोटा दिया जाता है, वहां यह समझा जायेगा, कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है''। उक्त उपबंध में दिए गये स्पष्टीकरण अनुसार :— इस धारा के प्रयोजनार्थ '' ऋण अथवा दायित्व '' से अभिप्राय विधितः प्रवतनी ऋण अथवा दायित्व से है।

10— अधिनियम के अधीन दी गई उपधारणाएँ :—

अधिनियम की धारा — 118 के अधीन, परक्राम्य लिखित अधिनियम के बारें में उपधाणाएँ : — जबतक, कि प्रतिकूल साबित नही कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएँ की जाएगी —

(क) प्रतिफल के विषय में — यह, कि हर परक्राम्य लिखित प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह, कि हर ऐसी लिखित जब प्रतिगृहीता, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो, तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या, अन्तरित की गई थी,

(ख) तारीख के बारें में — यह, कि ऐसी हर परक्राम्य लिखित जिस पर तारीख पडी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी,

(ग) अन्तरण के समय के बारें में — यह, कि परक्राम्य लिखत का हर अन्तरण उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहित किया गया था,

(ड) पृष्ठाकनों के क्रम के बारें में – यह, कि परक्राम्य लिखत पर पर विद्य मान पृष्ठाकन उस क्रम में किए गए थे, जिसमें वे उस पर विद्यमान है,

(च) स्टाम्प के बारें – यह, कि खोया गया वचनपत्र, विनिमय – पत्र या चैक सम्यक् रूप से स्टाम्पित था,

(छ) यह, कि धारक सम्यक् – अनुक्रम धारक है – यह, कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक् – अनुक्रम – धारक है, परन्तु जहां कि लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है अथवा उसके रचियता या प्रतिगृहीता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधि विरूद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है, वहां साबित करने का भार, कि धारक सम्यक् – अनुक्रम – धारक है, उस पर है।

11– <u>अधिनियम की धारा 139 के अनुसार :– धारक के पक्ष में उपधारणा :–</u>

जबतक की अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी, कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है । अधिनियम की धारा 139 के विधिक प्रावधान के अधीन प्राथमिक रूप से परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा निर्मित होती है, कि किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए प्रश्नगत चेक जारी किया गया है, किन्तु उक्त उपधारणा खण्डनीय हैं।

12– परिवादी देवेन्द्र प.सा. 1 का कहना है कि आरोपी को रूपयों की आवश्यकता होने से और आरोपी से उसके पारिवारिक संबंध होने से 15,000/– रूपये नगद उधार आरोपी ने उससे प्राप्त किया था, जिसके भुगतान हेतु दिनांक 14/05/2006 का एक चैक राशि 15,000/– रूपये का आरोपी ने हस्ताक्षर करके उसे दिया था, किन्तु उक्त चैक दिनांक 08/06/2006 को रिटर्न मेमो के साथ आरोपी के खाते में पैसे की व्यवस्था न होने के कारण बिना भुगतान के लौटा दिया गया, उसके द्वारा राशि के भुगतान हेतु आरोपी को सूचना पत्र प्रेषित करने के उपरांत भी उसने पैसे अदा नहीं किये। उक्त साक्षी ने अपने कथन के समर्थन में प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी. 1, मेमो प्रदर्श पी. 2, सूचना पत्र प्रदर्श पी. 3, प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी. 4 की प्रस्तुत की है। परिवादी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी और परिवादी के मध्य 3 प्रकरण लंबित रहे हैं और उनमें आरोपी से राजीनामा हो गया है और उसके अधीन 70,000/– रूपये प्राप्त कर रसीद प्रदर्श डी. 2 की निष्पादित की गई है, उक्त सुझाव को परिवादी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार कर लिया है, किन्तु परिवादी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य से इंकार किया है कि इस प्रकरण में परिवादी को आरोपी से कोई राशि लेना शेष नहीं हैं। परिवादी के कथनों में कोई विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में परिवादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं।

13— अपीलार्थी/अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा है कि उसने प्रदर्श डी. 2 की रसीद के माध्यम से उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामें के आलोक में 70,000/— रूपये की राशि उनके तीनों प्रकरणों में राजीनामा होने के आधार पर परिवादी को भुगतान कर दिया है, इस कारण से आरोपी को दोषमुक्त किया जाये, उक्त बिन्दु पर आरोपी किशोर ने बचाव साक्ष्य के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है। प्रदर्श डी. 2 की रसीद के अवलोकन से प्रकट है कि आरोपी ने भिन्न—भिन्न दिनांकों पर 70,000/— रूपये की राशि परिवादी को अदा कर दी है। प्रदर्श डी. 2 की रसीद के आधार पर आरोपी ने भले ही परिवादी को 70,000/— रूपये की राशि भिन्न—भिन्न प्रकरणों में अदा कर दी थी, किन्तु उक्त प्रकरण में परिवादी ने आरोपी से कोई राजीनामा नहीं किया है और अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि आरोपी ने प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि का सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी निर्धारित अवधि में कोई राशि अदा नहीं की है, ऐसी स्थिति में विचारण के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी को चैक में वर्णित राशि अदा किये जाने के उपरांत भी आरोपी परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्ति का हकदार नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका—14 में तत्संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

14— अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी ने आरोपी को 15,000/— रूपये उधार दिये थे और उसी ऋण व दायित्व के उन्मोचन हेतु आरोपी ने परिवादी को प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी. 1 का दिया था, अतः अधिनियम की धारा 139 के विधिक प्रावधान के अधीन परिवादी के पक्ष में उपधारणा उद्भूत होती है। यद्यपि उक्त उपधारणा खंडनीय हैं और उक्त उपधारणा को खंडन करने का भार आरोपी पर है।

15— प्रकरण में प्रदर्श पी. 1 के चैक के अवलोकन से प्रकट होता है, कि प्रदर्श पी. 1 का चैक 15,000/— रूपये की अदायगी हेतु परिवादी के नाम पर दिनांक 14/05/2006 का जारी किया गया था। आरोपी द्वारा प्रदर्श पी. 1 के चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के संबंध में इंकार किया गया है और यह प्रतिरक्षा ली है कि उक्त चैक पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर हैं और वह अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं करता है तथा हिंदी में हस्ताक्षर करता है। आरोपी किशोर ने बचाव साक्षी क्रमांक 1 के रूप में कथन देते समय परिवादी को चैक दिये जाने से ही इंकार कर दिया है, किन्तु आरोपी किशोर कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार कर लिया है कि रजिस्ट्री के अंदर चैक साईन किये रखे होंगे, ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान की गई स्वीकृति से ही परिवादी को चैक देना और चैक पर स्वयं आरोपी के हस्ताक्षर होने के तथ्य प्रमाणित होते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आरोपी का तर्क मान भी लिया जाये कि उक्त प्रश्नगत चैक पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं, तब भी प्रकरण में संलग्न प्रदर्श पी. 2 के मेमो के अवलोकन किये जाने से प्रकट होता है, कि बैंक में भुगतान हेतु प्रश्नगत चैक प्रस्तुत करने पर उक्त चैक खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हुआ था, न कि उक्त प्रश्नगत चैक में आरोपी किशोर कुमार के हस्ताक्षर नहीं होने की भिन्नता पर अनादरित हुआ था। साथ ही प्रश्नगत चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर न होने बाबद

तथ्य को प्रमाणित करने का भार आरोपी पर था, किन्तु आरोपी के द्वारा प्रकरण में हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत चैक पर आरोपी के ही हस्ताक्षर होना प्रकट होता है।

16— जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त पर सूचना पत्र के निर्वहन न होने का प्रश्न है – वहां तक प्रदर्श पी. 3 का सूचना पत्र परिवाद पत्र में वर्णित आरोपी के पते पर ही प्रेषित किया गया है और न्यायालय द्वारा प्रेषित जारी समंस भी उसी पते पर निर्वहन हुआ है। इस प्रकार यह प्रकट होता है, कि प्रदर्श पी. 3 का सूचना पत्र उचित पते पर भेजा गया था और उक्त सूचना पत्र का निर्वहन आरोपी पर हुआ था। इसके अतिरिक्त भी न्यायदृष्टांत **सी.सी. अलवी हाजी विरूद्ध पेलापेट्टी मुहम्मद और अन्य 2008(1) 441** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहां लेखीवाल नोटिस प्राप्त न होने का अभिवाक लेता है, वहां पर न्यायालय का समन प्राप्त होने के बाद 15 दिवस की अवधि में उपस्थित होकर धनराशि जमा कर कार्यवाही को समाप्त करने का निवेदन कर सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो कार्यवाही निरस्त योग्य है। इस मामले में प्रथमतः तो आरोपी पर नोटिस का निर्वहन हुआ है। द्वितीयतः उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर चेक की राशि निक्षेपित कर कार्यवाही को समाप्त करने हेतु कोई निवेदन नहीं किया गया है, इसलिये तत्संबंध में आरोपी की ओर से किये गये तर्क का कोई लाभ आरोपी को नहीं मिलता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय की कंडिका–14 में तत्संबंध में उचित निष्कर्ष निकाला है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

17— अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध है। अधिनियम की धारा 139 के अनुसार जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो, तो ऐसी उपधारणा की जायेगी कि चैक धारक ने धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या ऑशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया। इस प्रकार अधिनियम के उक्त उपबंध की उपधारणा चैक धारक के पक्ष में है और उक्त उपधारणा को खण्डित करने का भार सदैव प्रतिपक्ष पर होता है, इस मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त उद्भूत उक्त उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति मे उदभूत उपधारणा का खण्डन नहीं होता है और न ही उद्भूत उक्त उपधारणा के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Mallavarapu Kasivisweswara Rao V. Thadikonda Ramulu Firm & Others (2008) 7 SCC 665 And K. N. Beena,v. Muniyappan and Other 2001 AIR sc 2895** अवलोकनीय है।

18— इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से अधिनियम की धारा– 138 के अपराध को स्थापित करने वाले सभी अवयव व उपधारणा विद्यमान है। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि प्रश्नगत चैक अपीलार्थी/अभियुक्त ने उधार ली धनराशि की अदायगी के अनुक्रम में अपने दायित्व के अधीन प्रत्यर्थी/परिवादी को प्रदान किया था।

19— विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत चैक दायित्व के अधीन देना,

चैक पर अपीलार्थी/अभियुक्त के हस्ताक्षर होना, परिवाद प्रस्तुत करने के पूर्व आज्ञापक उपबंध का पालन कर पंजीयत डाक से नोटिस प्रेषित करना और उक्त नोटिस अपीलार्थी/अभियुक्त को प्राप्त होने वावत उचित निष्कर्ष अभिलिखित किया है और अभिलिखित किये गये निष्कर्ष साक्ष्य व विधि पर आधारित होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

20— इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने निश्चित रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने तथा अपने निष्कर्ष पर पहुॅचने में कोई गलती नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय विधि और साक्ष्य की उचित विवेचना पर आधारित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुऐ उचित दोषसिद्धि अभिलिखित की है, अतः उसकी पुष्टि की जाती है।

21— जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त को दिये गये दंडादेश का प्रश्न है, वहां तक विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास और धारा 357 (3) द.प्र.स. के अंतर्गत 25,000/— रूपये प्रतिकर और इसके व्यतिक्रम में 1 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दंडादेश अत्यधिक कठोर होना प्रकट नही होता है, इसलिये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अधिरोपित प्रतिकर 25,000/—रूपये की राशि में से 6,250/—रूपये विचारण न्यायालय में जमा कर दी है, इसलिये अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष शेष प्रतिकर राशि अदा करे, अदा न करने की दशा में व्यतिक्रम का कारावास भुगताया जाये और उक्त प्रतिकर की राशि वसूली हेतु विचारण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करे। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

22— तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त की यह दांडिक अपील निरस्त की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 30/11/2017 की पुष्टि की जाती है।

अपील निरस्त की गई।

दिनांक — 06/02/2019

स्थान— डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर (म.प्र.) **—सही—**

(श्रीमती सोनल पटेल)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर (म.प्र.)